न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/23/2025	2025/146	16.06.2025	24.02.2026

1.राजेश पुत्र जगदीश, जाति संजोगी ब्राह्मण, निवासी विजयनगर प्रेमपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलांट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर (राज०)।
2.नायब तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर (राज०)।
3.मंदिर मूर्ति श्री वासुदेव जी महाराज जर्ये तहसीलदार राजगढ।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ दिनांक 07.12.2023 प्रकरण संख्या 36/2023–24

उपस्थितः–
01.श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 07.12.2023 प्रकरण संख्या 36/2023–24 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 07.12.2023 के खिलाफ की अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्ट फीस 2/– रूपये चस्पा है। न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ़ के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई और जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर कॉपी के लिए आवेदन किया दिनांक 07.05.2025 को किया जिसकी नकल दिनांक 18.05.2025 को मिली जो अपील अंदर मियाद पेश हैं। पटवारी हल्का विजयनगर ने आराजी खसरा न० 125 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए जो मंदिर श्री वासुदेव महाराज की भूमि मानकर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 191 के तहत पटवारी हल्का नीमला ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है और लिखा है कि खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती पुख्ता निर्माण करके कब्जा कर रखा है। अतिकमी को अतिकमी मानते हुए 100/– रूपये पेनल्टी लगाकर बेदखली की कार्यवाही की है जो 91 की रिपोर्ट की है और उसमें लिखा है कि पक्का निर्माण व दुकान बनाकर निर्माण कर रखा है जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील पेश की जा रही है निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है। विवादित भूमि खसरा न० 125 वाकै ग्राम विजयनगर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि विवादित भूमि के पूर्व में अपीलान्ट के दादा व परदादा की खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी पर पुराने रिकार्ड से अपीलान्ट काबिज रहकर श्री वासुदेव महाराज का मंदिर बना रखा है व सेवा पूजा करता चला आ रहा है उसके बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर रंजिशवश 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही की है जो नियमानुसार गलत है जो गौर श्रीमान है।

अपीलान्ट के परिवार सहित विवादित भूमि में ही अपने बुजुर्गों के समय से रहता चला आ रहा है जिसमें सतसंग भवन बना रखा है और वासुदेव जी महाराज व हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित कर रखी है व जाति से अपीलान्ट पुजारी है जिसकी सेवा पूजा करने का मुख्य धंधा है व सेवा पूजा करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है व सारी भूमि भगवान की सेवा पूजा के काम में आ रही है। जिसका प्रार्थी पुजारी है जिससे शिकायत कर्ता व अन्य लोगों का कोई संबंध वो वास्ता नहीं है गलत तथ्यों के आधार पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही की है जो गौर श्रीमान है। पुराने साबिक रिकार्ड व नए रिकार्ड को मिलान करने से यह साबित होता है कि बच्दोबस्त विभाग सम्वत 2020 ने गलत तरीके से विवादित भूमि को मंदिर मूर्ति श्री वासुदेव जी महाराज गलत दर्ज किया है जबकि पुराने रिकार्ड में विवादित आराजी अपीलान्ट के बुजुर्गों के नाम चली आ रही है। और विवादित भूमि पुराने रिकार्ड में बदरी प्रसाद के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नाम थी जिसने दिनांक 14.07.2006 को रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा अपीलान्ट के पिता जगदीश को सारी चल अचल सम्पति का मालिक होना जाहिर किया है। जो वसीयत भी अपीलान्ट के पास मौजूद है। पटवारी हल्का ने कभी भी मौके पर आकर पैमाईश नहीं कराई जिससे कही पर भी यह बात साबित नहीं है कि किसका कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है व कितनी भूमि पर निर्माण कर रखा है। जो गौर श्रीमान है। अपीलान्ट ने एक दावा न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ की अदालत में राजेश बनाम राज० सरकार के नाम से कर रखा है जो दावा पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मौका रिपोर्ट भी आ चुकी है जब दावा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है जिसमें श्रीमान कलेक्टर साहब व तहसीलदार साहब पक्षकार है। बेदखली की कार्यवाही करने का तहसीलदार साहब राजगढ़ को कोई अधिकार नहीं है जो कार्यवाही कानून के विरूद्ध जाकर की है जो गौर श्रीमान है। अन्य उजात वर वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेगे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय तहत अदालत नायब तहसीलदार साहब राजगढ दिनांक 07.12.2023 बसिलसिले प्रकरण संख्या 36/2023–24 निरस्त फरमाई जाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खसरा न0 125 पर अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि विवादित आराजी अपीलांट के दादा–परदादा की खातेदारी की आराजी है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा संवत 2020 ने गलत तरीके विवादित भूमि को मंदिर मूर्ति श्री वासुदेव जी महाराज गलत दर्ज किया हैं। विवादित भूमि पुराने रिकॉर्ड में बदरी प्रसाद के नाम थी जिसने दिनांक 14.07.2006 को रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा अपीलांट के पिता जगदीश को सारी चल अचल सम्पत्ति का मालिक होना जाहिर किया है। अपीलान्ट ने एक दावा न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ की अदालत में राजेश बनाम राज० सरकार के नाम से कर रखा है जो दावा पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मौका रिपोर्ट भी आ चुकी है जब दावा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है जिसमें श्रीमान कलेक्टर साहब व तहसीलदार साहब पक्षकार है। बेदखली की कार्यवाही करने का तहसीलदार साहब राजगढ़ को कोई अधिकार नहीं है जो कार्यवाही कानून के विरूद्ध जाकर की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि भूमि ग्राम विजयनगर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर की भूमि (खसरा नं. 125, रकबा 0.30 हैक्ट०)। भूमि मंदिर श्री वसुदेव जी महाराज के नाम दर्ज है। राजेश पुत्र जगदीश ने इस भूमि पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया। पटवारी (हल्का नीमला) की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी को नोटिस भेजा गया। सुनवाई के दौरान अतिक्रमी के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण को सरकारी भूमि के अतिक्रमण के समान ही माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी राजेश को उक्त भूमि से तुरंत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 125 (रकबा 0.30 हैक्टर) वाकै ग्राम विजयनगर, तहसील राजगढ़ 'मंदिर श्री वासुदेव जी महाराज' के नाम से दर्ज है। अपीलांट का यह तर्क कि भूमि बदरी प्रसाद के नाम थी और उन्होंने 14.07.2006 को अपीलांट के पिता के नाम वसीयत की थी, विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। कानून की दृष्टि में 'मूर्ति' एक चिरस्थायी नाबालिग है। मंदिर की भूमि को किसी भी व्यक्ति, पुजारी या अन्य द्वारा अपने नाम हस्तांतरित या वसीयत नहीं किया जा सकता है। बंदोबस्त विभाग (संवत 2020) की प्रविष्टि को इतने वर्षों बाद इस न्यायालय के समक्ष चुनौती देना आधारहीन है। पटवारी हल्का नीमला की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा मंदिर की भूमि पर पक्का निर्माण/दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। राज्य सरकार के स्पष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार, मंदिर या माफी की भूमि पर अतिक्रमण को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के समान ही माना जाता है। अपीलांट स्वयं को पुजारी बताकर भूमि पर निजी पक्का निर्माण (दुकान) करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अपीलांट ने तर्क दिया है कि सिविल न्यायालय राजगढ़ में वाद लंबित है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र सिविल वाद के लंबित होने से राजस्व न्यायालय की राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही बाधित नहीं होती है, जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट स्थगन आदेश पारित न किया गया हो। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार राजगढ़) द्वारा अपीलांट को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। अपीलांट के उपस्थित न होने पर एकतरफा कार्यवाही कर बेदखली व शास्ति (पेनल्टी) का आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार चैरिटेबल/धार्मिक भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 36/2023–24 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 07.12.2023 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रकरण संख्या 36/2023–24 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)